

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0(विविध)22 / 2022 - 955
प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी

अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

लोहरदगा जिला में विगत दो वर्ष से भी अधिक समय से अपर समाहर्ता का पद रिक्त रहने के संबंध में।


महाशय,

राँची, दिनांक:- 15.12.2022

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रत्येक जिले के अपर समाहर्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है। NFSA 2013 से संबंधित योजनाओं के शिकायतों के निराकरण में जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का महत्ती भूमिका है। दिनांक-28.11.2022 को आयोग का लोहरदगा में भ्रमण हुआ। भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि गत 2 वर्ष से भी अधिक समय से अपर समाहर्ता का पद रिक्त है। वर्तमान में लोहरदगा जिला के उप विकास आयुक्त ही अपर समाहर्ता, लोहरदगा के प्रभार में हैं। दिनांक-28.11.2022 को 10:00 बजे से मुखिया संवाद का कार्यक्रम निर्धारित था, जिसकी सूचना प्रभारी अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी थी। परन्तु जानकारी होने पर भी वे कार्यक्रम में काफी विलंब से पहुँचीं और पूरे कार्यक्रम के दौरान निष्क्रिय रहीं।

अनुरोध है कि लोहरदगा जिला में शीघ्र-अतिशीघ्र अपर समाहर्ता की पदस्थापना कराई जाय ताकि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से संबंधित कार्य में कोई रुकावट न हो।

विश्वासभाजन


(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।